फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री कुशाल सिंह रावत, समाजसेवी, ग्राम सिरोदनिया पो0 ताल, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 50/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 25.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम से जरिये पत्र क्रमांकः– प0सू. अ.05/2025/1825 दिनांक 22.07.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत चाही गई सूचना पुरानी होने से कार्यालय रिकॉर्ड में तलाश करवाई जा रही है। इस संबंध में कार्यालय के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 05.03.2025 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया। तत्पश्चात् कार्यालय के आदेश क्रमांक 1591 दिनांक 18.06.2025 द्वारा टीम गठित की जाकर वांछित रिकॉर्ड कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार तलाश करवाया जा रहा है।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना पुरानी होने से कार्यालय रिकॉर्ड में तलाश करवायी जा रही है एवं वांछित सूचना तलाशी हेतु लोक सूचना अधिकारी द्वारा आदेश क्रमांक 1591 दिनांक 18.06.2025 द्वारा टीम गठित की जाकर कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार तलाश करवाया जा रहा है। इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमांक 558 दिनांक 05.03.2025 से सूचित कर दिया गया है।

अतः लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को रिकॉर्ड का अवलोकन करा उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे एवं आप द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट से अपीलार्थी एवं इस न्यायालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे। अतः उक्त अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)